कार्यालय प्रभागीय विकय प्रबन्धक, उ0प्र0 वन निगम, दुद्धी–सोनभद्र

पत्रांक– 522 / दिनांक 10.08.2026

विज्ञप्ति/सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण एवं समस्त सम्मानित क्रेतागण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2026 सीजन में अनुमानित मात्रा के आधार पर हरे तेन्दूपत्ता की अग्रिम बिक्री की गयी थी। वर्ष 2026 के हरे तेन्दू पत्ता की अग्रिम विकी की समस्त लाटों/इकाईयों का संग्रहण, प्रसंस्करण, हस्तानान्तरण, परिवहन एवं भण्डारण का कार्य सम्बन्धित क्रेताओं (जिसके पक्ष में इकाई/लाट का अनुमोदन प्राप्त हुआ है) के द्वारा सम्बन्धित गोदामों में कराया जा चुका है। तेन्दूपत्ता संग्रहण के बाद कुछ इकाइयों/लाटों में मात्रा लक्ष्य से अधिक या लक्ष्य से कम उत्पादन हुआ है। प्रश्नगत लॉटों की तेन्दू पत्ता अग्रिम विकी प्रकिया के तहत शर्त संख्या–13 के अन्तर्गत लॉट के अनुमानित लक्ष्य के अनुसार कुल 25 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा की जानी थी, जिसमें 15 प्रतिशत जमानत धनराशि प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0वन निगम के बैंक खाते में आन–लाईन गेटवे के माध्यम से तथा 10 प्रतिशत जमानत धनराशि बैंक एफ0डी0आर/बैंक गारन्टी/प्रश्नगत धनराशि का भुगतान प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0वन निगम, लखनऊ के बैंक खाते में आनलाईन गेटवे के माध्यम से भी जमा कर सकता है।

कतिपय कारणों से प्रश्नगत लॉटों के विरूद्ध वास्तविक उत्पादन की ऑनलाईन प्रविष्टि में विलम्ब होने के कारण क्रेताओं के द्वारा समय से वांछित 10 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करने की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी। वर्तमान में तेन्दू पत्ता पोर्टल पर वास्तविक उत्पादन के डेटा प्रविष्टि का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

वर्ष 2026 में हरे तेन्दू पत्ता के अग्रिम विकी प्रकिया के उपरोक्त नियमों के आलोक में अग्रिम विकी की गयी तेन्दू पत्ता लाटों में वास्तविक उत्पादन के अनुसार वांछित 10 प्रतिशत जमानत धनराशि बैंक एफ0डी0आर0/बैंक गारन्टी/प्रश्नगत धनराशि का भुगतान प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0वन निगम, लखनऊ के बैंक खाते में आनलाईन गेटवे के माध्यम से जमा किये जाने हेतु दिनांक **20.08.2026** तक की अनुमति सक्षम स्तर से प्रदान कर दी गयी है।

अतः समस्त सम्मानित क्रेतागण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 10 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करने हेतु दिनांक **20.08.2026** तक का समय प्रदान कर दिया गया है। उपरोक्त 10 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करने से सम्बन्धित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(तौफीक अहमद)
प्रभागीय विकय प्रबन्धक,
उ0प्र0 वन निगम, दुद्धी

संख्या– 522 / समदिनांक 10.08.2026

प्रतिलिपिः–1. महाप्रबन्धक (तेन्दूपत्ता), उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति/सूचना को ते0प0पोर्टल/वन निगम की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित/प्रकाशित करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, प्रयागराज को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त सम्मानित क्रेतागण (जिसके पक्ष में इकाई/लाट का अनुमोदन प्राप्त हुआ है) जिनके द्वारा वर्ष 2026 सीजन में हरे तेन्दूपत्ता की अग्रिम बिक्री में लाटें क्रय की गयी है, को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. नोटिस बोर्ड, प्रभागीय कार्यालय, उ0प्र0वन निगम, दुद्धी।

(तौफीक अहमद)
प्रभागीय विकय प्रबन्धक,
उ0प्र0 वन निगम, दुद्धी

Scanned with OKEN Scanner